राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 692/2025

सुरेश कुमार खत्री —**अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिए शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, बीकानेर।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद चूरू, जिला चूरू, राजस्थान।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय), प्रारंभिक शिक्षा, चूरू।
5. प्राधानाचार्य/ पी.ई.ई.ओ, शहीद सुखदेव सिंह, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, तोगावास, पंचायत समिति तारानगर, चूरू, राजस्थान।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की तिथि : 21.07.2025
आदेश की दिनांक : 22.07.2025

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री कैलाश जांगिड, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त परमार, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवडा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में प्रबोधक (लेवल–II) (शारीरिक शिक्षक) के पद पर शहीद सुखदेव सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, तोगावास, पंचायत समिति तारा नगर, जिला चुरू में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 06.12.2024 (अनुलग्नक–7) द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, गोगासर, ब्लॉक रतनगढ़ किया गया है। विभाग द्वारा आदेश दिनांक 14.11.2024 (अनुलग्नक–6) के द्वारा अधिशेष अध्यापकों/कार्मिकों के समायोजन के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश जारी कर अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में कार्यरत कार्मिक

चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने के पश्चात् ही अधिशेष घोषित किया जाएगा, के विरूद्ध जाकर अपीलार्थी को अधिशेष मानते हुए स्थानांतरण किया गया है, जोकि नियमानुसार नहीं है। प्रबोधक पद पंचायतीराज के अधीन आता है। जबकि अपीलार्थी का स्थानांतरण शिक्षा विभाग के अधिकारी द्वारा किया गया है। जिसे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने एसबी सिविल रिट पिटिशन संख्या 20875/2024 जोरावर सिंह राव बनाम राज्य में अपने विनिश्चय दिनांक 12.12.2024 के अंतर्गत इस विषय में शिक्षा विभाग के अधिकारियों को प्रशासनिक कार्य क्षेत्र नहीं होना माना जाकर ऐसे ही प्रकरणों में निषेधाज्ञा प्रदान की गई है। अतः स्थानांतरण आदेश दिनांक 06.12.2024 (अनुलग्नक–7) को अवैध घोषित कर निरस्त व अपास्त किए जावे तथा अपीलार्थी का पदस्थापन राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय लाखनवास अथवा बलॉक लाखनवास जिला चुरू में निकटतम स्थान पर किया जाकर अपीलार्थी को राहत प्रदान की जावे।

3. हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ताओं की बहस सुनी और पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अवलोकन कर मनन किया गया।

4. बहस के दौरान अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थीगण द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किया जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

5. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 2 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी

को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(चेतन राम देवडा)
सदस्य